सुनवाई | सुनवाई दौरान पेश किया तर्क, सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़े छात्रों को मिले नौकरी में प्राथमिकता

परेशानी है तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों की मंगलवार को 14 वें दिन सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विनय सराफ की विशेष युगलपीठ के समक्ष ओबीसी वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने लंबी बहस की। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग को परेशानी है तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर कक्षा एक से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े छात्रों को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का नियम बनाया जाए। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के साथ सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और मेरिट को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे। अब बुधवार पांच अगस्त को मामले में अंतिम बहस होने की उम्मीद है।

मामले की सुनवाई के दौरान मेरिट को लेकर चर्चा के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सरकार को कई बार

सुझाव दिया है कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग को परेशानी है तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर नियम बनाया जाए कि कक्षा एक से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढने वाले विद्यार्थियों को ही सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जाए। उनके अनुसार इससे सभी वर्गों के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे और शिक्षा व्यवस्था में समानता आएगी। जस्टिस आनंद पाठक ने भी सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर चिंता जताई। उन्होंने अपने ग्वालियर कार्यकाल के दौरान चली विद्या दान पहल का उल्लेख किया, जिसमें अधिकारी, आईआईटी से शिक्षित लोग और समाज के अन्य लोग सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान इंदौर के कलेक्टर सहित कई अधिकारी और शिक्षित लोग बच्चों को पढ़ाने पहुंचते थे। जस्टिस शील नागू ने भी इस पहल में पढ़ाने की इच्छा जताई थी। कोरोना काल के कारण यह पहल बंद हो गई। मामले की सुनवाई आज फिर जारी रहेगी।

संगीत शिक्षक भर्ती मामला, डीपीआई अधिकारियों को अवमानना नोटिस

मप्र हाईकोर्ट ने संगीत शिक्षक भर्ती-2024 से जुड़े मामलों में पूर्व के अंतरिम आदेशों का पालन नहीं किए जाने परलोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किये है। मामले में डीपीआई अधिकारी कामना आचार्य का नाम सामने आया है। अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण वर्मा व डॉ. ज्योति वर्मा ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार हाईकोर्ट ने 19 जून, 22 जून, 23 जून और नौ जुलाई 2026 को अलग-अलग प्रकरणों में अंतरिम आदेश जारी कर प्रयाग संगीत समिति, प्रयागराज के प्रभाकर सहित समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे। साथ ही अंतिम नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था। आरोप है कि इसके बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया। अभ्यर्थियों ने प्रभाकर को संगीत स्नातक के समकक्ष मान्यता के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के निर्णयों तथा मध्यप्रदेश शासन के 19 अक्टूबर 1974 के आदेश समेत कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि समान योग्यता के बावजूद अलग-अलग मापदंड अपनाए गए। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से आदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

अवकाश में हुई गड़बड़ी की वसूली संस्था प्रमुख से नहीं

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वित्तीय अनियमितता के मामले में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि किसी अधिकारी के अवकाश के दौरान हुए गलत भुगतान के लिए केवल संस्था प्रमुख होने के आधार पर उस पर प्रतिनिधिक दायित्व तय नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने नईगढ़ी रीवा की तत्कालीन परियोजना अधिकारी खुश्बू के खिलाफ तीन लाख 60 हजार 450 रुपये की वसूली का आदेश निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता योगेश सिंह बघेल ने रखा। मामले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 92 अपात्र महिलाओं को चार लाख 31 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। विभाग ने अधिकारी से 3.60 लाख रुपये की वसूली का आदेश 31 जनवरी 2023 को जारी किया था। उनकी अपील उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन ने 30 मई 2023 को निरस्त कर दी थी। दरअसल, याचिकाकर्ता 10 अगस्त से नौ अक्टूबरए 2019 तक चिकित्सीय अवकाश पर थीं।

कोलकाता के लिए सीधी उड़ान 8 से

- एलायंस एयर का एयरक्राफ्ट कोलकाता से भरेगा उड़ान
- सांसद के प्रयासों को मिली सफलता

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर से कोलकाता के बीच महत्वपूर्ण हवाई संपर्क 8 अगस्त को उस समय स्थापित हो जायेगा जब एलायंस एयर की उड़ान संस्कारधानी जबलपुर से कोलकाता के लिये प्रारंभ होगी। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे ने बताया कि 8 अगस्त शनिवार को कोलकाता से उड़ान भरकर एलायंस एयर का एयरक्राफ्ट सुबह 09.35 बजे जबलपुर पहुंचेगा और फिर जबलपुर से कोलकाता के लिये सुबह 10.00 बजे वापसी की उड़ान भरेगा। विदित हो कि पिछले लंबे समय से जबलपुर-कोलकाता मार्ग पर उड़ान प्रारंभ करवाने के लिये सांसद आशीष दुबे लगातार प्रयास कर रहे थे ।

इस मौके पर सांसद आशीष दुबे ने कहा कि अभी जबलपुर से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान नहीं थी। जिससे हवाई यात्रियों को जबलपुर से कोलकाता जाने के लिए स्टॉप ओवर उड़ान से कोलकाता जाना पड़ता था,अब जबलपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान प्रारम्भ होने से जबलपुर के हवाई यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ उनके समय की बचत भी होगी और आर्थिक भार भी अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। सांसद ने जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधी उड़ान की सौगात देने के लिये केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू और एलायंस एयर प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

कुछ इस तरह मिलेगा फायदा

इस उड़ान से जबलपुर के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। कोलकाता में अध्ययनरत जबलपुर के छात्र, इलाज के लिए जाने वाले मरीज और पूर्वी भारत से व्यापार करने वाले उद्यमियों को अब जबलपुर से कोलकाता के लिये सीधी हवाई सुविधा मिलेगी। समय की बचत,किफायती यात्रा,व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ जबलपुर में निवासरत बांग्लाभाषियों को भी इस उड़ान के प्रारंभ होने से सहज सुविधा प्राप्त होगी वहीं जबलपुर के संगमरमर, कृषि उत्पाद और एमएसएमई उद्योगों को पूर्वी भारत के बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी।

इन दिनों पर इस टाइमिंग पर भरेगी उड़ान

नई दिल्ली में एलायंस एयर के चेयरमैन अमित कुमार ने सांसद आशीष दुबे को एक भेंट में एलायंस एयर प्रबंधन की ओर से इस आशय की जानकारी देते हुये उड़ान की विस्तृत जानकारी से संबंधित पत्र सौंपा और उड़ान का प्रस्तावित शेड्यूल भी साझा किया है, जिसके अनुसार एलायंस एयर का एटीआर 72 विमान सप्ताह के तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 7.05 पर कोलकाता से उड़ान भरकर 9.35 बजे जबलपुर पहुंचेगा और फिर जबलपुर से कोलकाता के लिए 10.00 बजे उड़ान भरकर 12.35 बजे कोलकाता में लैंड करेगा।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव, व्यापारियों ने मंडी की बंद

जबलपुर। मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नाराज गोहलपुर सब्जी मंडी के व्यापारियों ने मंगलवार को मंडी बंद रखकर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि वर्षों से मंडी में टीन शेड, साफ-सफाई और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे उन्हें रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।व्यापारियों ने बताया कि टीन शेड नहीं होने से उन्हें तेज धूप और बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे कारोबार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में मंडी परिसर में कीचड़ भर जाता है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को आवागमन में दिक्कत होती है। वहीं नियमित सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है।

क्षेत्रीय पार्षद ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों से मंडी के जीर्णोद्धार की योजना लंबित है। योजना के तहत टीन शेड, चबूतरे और फर्शीकरण का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर और नगर निगम आयुक्त इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। व्यापारियों और पार्षद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मंडी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद कर आंदोलन तेज किया जाएगा।

मुंबई-दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

जबलपुर। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मध्य रेल ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से दानापुर के बीच एकतरफा स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 01081) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 5 अगस्त को रात 12:30 बजे सीएसएमटी से रवाना होकर पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशनों पर ठहरते हुए अगले दिन सुबह 8 बजे दानापुर पहुंचेगी। जबलपुर स्टेशन पर इसका आगमन शाम 5:35 बजे निर्धारित है। ट्रेन में 12 स्लीपर, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी तथा 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड-ब्रेकवैन कोच लगाए गए हैं।

नियमितिकरण व निलंबित करने के कुलगुरु के आदेश पर रोक

- रादुविवि कर्मियों को राहत जांच रिपोर्ट का इंतजार

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के नियमितीकरण को निलंबित किए जाने के आदेश पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुलगुरु के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने उक्त निर्देश दिये है।

यह मामला रादुविवि कर्मी शरद सिंह कौशिक एवं अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र घिल्डियाल एवं अधिवक्ता अवधेश कुमार अहिरवार ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 को रादुविवि कुलगुरु कार्यालय से जारी आदेश के जरिए याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण को निलंबित कर दिया गया था। आवेदकों की ओर से दलील दी गई कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या गैर-कानूनी गतिविधि का कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। जिस प्रक्रिया से नियमितीकरण प्रदान किया गया था, उसमें स्वयं कुलगुरु भी शामिल थे। ऐसे में बिना किसी ठोस निष्कर्ष के कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। मामले में विवि प्रशासन की ओर से कहा गया कि कुलगुरु के पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने तक ही नियमितीकरण के आदेश को निलंबित रखा गया था। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने पाया कि ऐसा कोई ठोस आधार या दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि नियमितीकरण में कोई अनियमितता हुई है। जांच समिति अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और प्रक्रिया जारी है। न्यायालय आदेश देते हुए कहा कि जब तक जांच समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती, तब तक 14 जुलाई 2026 के विवादित आदेश पर रोक जारी रहेगी। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के लिए यह शर्त रखी है कि वे एक अंडरटेकिंग दे कि यदि जांच समिति की रिपोर्ट उनके विपरीत आती है, तो वे अंतर राशि वापस लौटाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की गई है।

दो मांगों पर राहत, कैडर रिव्यू-प्रमोशन की मांग पर अड़े पटवारी

- अनिश्चिकालीन कलमबंद हड़ताल के दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल के दूसरे दिन जबलपुर जिले के बड़ी संख्या में पटवारियों ने तहसील जबलपुर में धरना देकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। पटवारी संघ के अध्यक्ष जागेंद्र पीपरी ने नवभारत को बताया कि 5 अगस्त को सभी पटवारी अधारताल तहसील में धरना देंगे। जागेंद्र के अनुसार हड़ताल के पहले दिन का प्रभाव प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दिया जिसका नतीजा था कि पटवारी संघ द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही मांगों पर संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मप्र शासन ने आदेश किया कि राजस्व न्यायालयों में पटवारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अब किसी भी पटवारी के खिलाफ बिना प्रारंभिक परीक्षण के सीधे कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए। पहले प्रारंभिक परीक्षण किया जाएगा उसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार हड़ताल में पूरे प्रदेश भर के लगभग 26000 पटवारी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मप्र शासन ने कलेक्टर और संभाग आयुक्त को नोटिस जारी करके जानकारी दी है। पटवारियों का कहना है कि चपरासी के प्रमोशन सरकार कर रही है लेकिन पटवारियों के प्रमोशन क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जागेंद्र पीपरी ने बताया कि मप्र शासन ने अभी पटवारियों की सिर्फ दो मांगों पर लैटर जारी किया है जबकि मुख्य मांग कैडर रिव्यू लागू करने और प्रमोशन करने की बची हुई है। जिन मांगों में शासन की तरफ से सुना गया है उनमें एक तो गांवों में होने वाले आबादी सर्वे में पटवारियों के लगने वाले 7500 रुपए की राशि का भुगतान करने और दूसरा जांच के बाद पटवारियों पर कार्रवाई करने का आदेश शामिल है।

झपट्टा मारकर लूटा महिला का बैग

जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत काईस्ट चर्च के पास बाइक सवार दो लुटेरों ने झपटटा मारकर एक महिला बैग लूट लिया। बैग में जेवर, एटीएम, मोबाइल रखा हुआ था ।पुलिस के मुताबिक केटी पति विवेक कुमार लाल निवासी गोरखपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीती रात अपनी पड़ोसी दोस्त जैनिट कननीलियस के साथ स्कूटी से घमापुर काम से गयी थी रात्रि में पर्यटन तिराहा होते हुये वापस घर आ रहे थे जैसे ही रात्रि करीब 11 बजे काईस्ट चर्च के पास पहुंचे थे उसी दौरान पीछे से मोटर सायकिल में दो लड़के तेजी से आये और बाइक में पीछे बैठे लड़के ने उसके बैग पर झपट्टा मारकर छीन लिया और भाग गये ।बैग में सोने की चैन, मोती की माला, एटीएम कार्ड, मोबाइल रखा हुआ था।

शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं : डीईओ

- अनियमितताओं पर सख्ती कारण बताओ नोटिस जारी

नवभारत,जबलपुर। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी गौतम बर्वे मंगलवार को पनागर विकासखंड के चार शासकीय विद्यालयों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अध्ययन-अध्यापन, शिक्षकों की नियमितता, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं और विद्यालयीन व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

सांदीपनि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनागर में परिसर और कक्षाओं की साफ-सफाई संतोषजनक नहीं मिली। कई कक्षाएं अव्यवस्थित थीं तथा निर्धारित समय पर कुछ शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इस पर डीईओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राचार्य को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। बालक माध्यमिक विद्यालय में पंखों और अध्यापन डायरी का अभाव शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय पनागर में कई कक्षाओं में पंखे नहीं मिले, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। वहीं शिक्षकों के पास दैनिक अध्यापन डायरी भी उपलब्ध नहीं थी। डीईओ ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा शैक्षणिक अभिलेख नियमित रूप से संधारित करने के निर्देश दिए। शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल एवं पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनागर में स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। इस दौरान शिक्षकों से चर्चा कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने गए तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।

एसबीसी चुनाव : आज से फिर प्रारंभ होगी मतगणना, सत्यापन प्रक्रिया पूरी

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन-2026 की मतगणना प्रक्रिया आज बुधवार पांच अगस्त से पुन: प्रारंभ होगी। मतगणना से पहले मतपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया मंगलवार को पूर्ण कर ली गई।

निर्वाचन अधिकारी व पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके पालो व वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के निर्देशन में पूरी प्रक्रिया अनुशासन, सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हुई। मतपत्र सत्यापन के दौरान प्राप्त विसंगतियों का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद वैध एवं अवैध मतपत्रों की संख्या घोषित की जाएगी।निर्वाचन प्रक्रिया के तहत कोटा निर्धारित करने के साथ अतिरिक्त मूल्य की गणना और उसका संबंधित प्रत्याशियों में वितरण किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण की मतगणना तथा आवश्यकता पड़ने पर एलिमिनेशन राउंड शुरू होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पांच अगस्त को सुबह 10 बजे से मतगणना का सीधा प्रसारण स्टेट बार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। प्रत्येक चरण की अद्यतन जानकारी परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

आपातकाल में रेल मदद बनी जीवनरक्षक

- गर्भवती यात्री को मिली तत्काल चिकित्सा

जबलपुर। जबलपुर रेल मंडल ने एक बार फिर तत्परता का परिचय देते हुए रेल मदद 139 पर मिली सूचना के आधार पर गर्भवती महिला यात्री को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) से गोरखपुर जा रही गाड़ी संख्या 11055 गोदान एक्सप्रेस के एस-7 कोच की बर्थ संख्या 12 पर यात्रा कर रही नौ माह की गर्भवती रागिनी (26) को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सूचना मिलते ही जबलपुर स्टेशन के उप स्टेशन प्रबंधक आशीष चड्ढा ने रेलवे चिकित्सालय से तत्काल संपर्क कर मेडिकल टीम की व्यवस्था कराई।ट्रेन के जबलपुर स्टेशन पहुंचते ही रेलवे चिकित्सक डॉ. राम्या अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। नर्स आरती और महिमा ने महिला का तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के बाद महिला की स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने बिना विलंब रेलवे एंबुलेंस की व्यवस्था कर महिला को सुरक्षित रूप से रानी दुर्गावती अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू कराया गया। महिला अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ एलटीटी से मऊ जंक्शन की यात्रा कर रही थीं।

समय पर मिला सहारा

महिला के परिजनों ने जबलपुर रेल मंडल, रेलवे चिकित्सकीय टीम और रेल मदद 139 की त्वरित एवं मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर मिली मदद से कठिन परिस्थिति में उन्हें बड़ा सहारा मिला। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी आपात स्थिति में यात्री रेल मदद 139 के माध्यम से चौबीसों घंटे तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते है

हलचल | 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट पर बढ़ी हलचल

शहर के कॉलेजों में सक्रिय नजर आए छात्र संगठन

नवभारत,जबलपुर। 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट के बाद मंगलवार को शहर के कॉलेजों में एनएसयसूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पदाधिकारी सक्रिय नजर आए। इस दौरान दोनों छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने समर्थकों के बीच जाकर संगठन में जुड़ने और क्या बेहतर हो सकता है इस पर विचार किया।

जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने सरकार से जल्द चुनाव अधिसूचना जारी करने की मांग है।

इन दोनों संगठनों ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया सितंबर 2026 में सुनिश्चित किए जाने संबंधी आदेश का स्वागत किया और प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की ऐतिहासिक जीत बताया।

कुछ इस तरह उठी मांगें

एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय रजक ने ने मांग की है कि प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से कराए जाएं, न कि केवल मेरिट अथवा नामांकन आधारित प्रणाली से। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मध्य प्रदेश शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय की भावना के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए छात्रसंघ चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया जाए, जिससे प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक तरीके से चयन करने का अवसर प्राप्त हो सके। एबीवीपी महाकोशल के प्रांत मंत्री सुव्रत बाझल ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया भर नहीं हैं, बल्कि यह विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सरोकारों के विकास का एक सशक्त माध्यम है।

युवकों के मोबाइल हुए हैक खातों से उड़ी रकम

जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत सिद्धबाबा साहू मोहल्ला घमापुर निवासी शुभम झारिया का मोबाइल अचानक से हैक होने के बाद मोबाइल बंद हो गया, बहुत कोशिश करने पर भी चालू नहीं हुआ। हालांकि बाद में अपने आप ही मोबाइल चालू हो गया लेकिन जब तक खाते से 48 हजार 900 रूपये उड़ चुके थे। इसी प्रकार रांझी थाना अंतर्गत सुभाष नगर निवासी दुर्गेश कुमार रैकवार का अचानक मोबाइल हैक हो गया और उसके बैंक आफ इंडिया के बैंक अकाउण्ट से 20 हजार एवं 29 हजार 900 हजार रूपये कट गए। इसके अलावा एक अन्य मामले में भेड़ाघाट निवासी विमल व्यास को साइबर ठग ने 38000 रुपये की चपत लगा दी ।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57